

ਇਸਲਾਮ

ਐਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹੁਕੂਮ



ਜਸ਼ਿਤਸ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹਮਦ ਤਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸਮਾਨੀ

इस्लाम और इन्सानी हुकूम

खिताब

जस्टिस मौलाना मुफ़्ती
मुहम्मद तक़ी साहिब उस्मानी

अनुवादक
मु० इमरान कासमी एम०ए० (अलीग)

प्रकाशक

फरीद बुक डिपो प्रा० लि०

422, मटिया महल, ऊर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6
फोन आफ़िस 3289786, 3289159 आवास 3262486

सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित हैं

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

| | |
|--------------|----------------------------|
| नाम किताब | इस्लाम और इन्सानी हुकूक |
| खिताब | मौलाना मुहम्मद उस्मानी |
| अनुवादक | मुहम्मद इमरान कासमी |
| संयोजक | मुहम्मद नासिर खान |
| तायदाद | 1100 |
| प्रकाशन वर्ष | जुलाई 2001 |
| कम्पोजिंग | इमरान कम्प्यूटर्स |
| | मुज़फ्फर नगर (0131-442408) |

>>>>>>>>>

प्रकाशक

फरीद बुक डिपो प्रा० लि०

422, मटिया महल, ऊर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6
फोन आफिस 3289786, 3289159 आवास 3262486

फ़ेहरिस्ते मजामीन

| क्र.सं. | क्या? | कहाँ? |
|---------|---|-------|
| 1. | आप का ज़िक्रे मुबारक | 5 |
| 2. | आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़बियां और कमालात | 6 |
| 3. | आजकी दुनिया का प्रोपैगन्डा | 7 |
| 4. | इन्सानी हुकूक का तसव्युर | 9 |
| 5. | इन्सानी हुकूक बदलते आये हैं | 10 |
| 6. | सही इन्सानी हुकूक का मुताव्यन करना | 12 |
| 7. | फ़िक्र की आज़ादी का झन्डा उठाने वाला इदारा | 12 |
| 8. | आज कल का सर्वे | 14 |
| 9. | क्या फ़िक्र की आज़ादी का नज़रिया बिल्कुल मुत्तलक है? | 16 |
| 10. | आपके पास कोई मेयार नहीं है | 19 |
| 11. | इन्सानी अक्ल महदूद है | 20 |
| 12. | इस्लाम को तुम्हारी ज़रूरत नहीं | 21 |
| 13. | अक्ल के काम का दायरा | 22 |
| 14. | हवास के काम का दायरा | 23 |
| 15. | तन्हा अक्ल काफ़ी नहीं | 24 |
| 16. | हुकूक की हिफाज़त किस तरह हो? | 26 |
| 17. | आजकी दुनिया का हाल | 27 |
| 18. | वादे की ख़िलाफ़ वर्जी (उल्लंघन) नहीं हो सकती | 29 |
| 19. | इस्लाम में जान की हिफाज़त | 31 |

| क्र.सं. | क्या? | कहाँ? |
|---------|--|-------|
| 20. | इस्लाम में माल की हिफाज़त | 32 |
| 21. | इस्लाम में आबरू की हिफाज़त | 36 |
| 22. | इस्लाम में मआश की हिफाज़त | 37 |
| 23. | ईमान और अकीदे की हिफाज़त | 39 |
| 24. | हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल | 41 |
| 25. | हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल | 42 |
| 26. | आज कल के ह्यूमैन राइट्स | 45 |

इस्लाम और इन्सानी हुकूक

اللَّهُمَّ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُهْلِلَ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلَهُ فَلَا هَابِي لَهُ وَنَشَهِدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشَهِدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلهٖ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا
كَثِيرًا۔ أَمَا بَعْدُ:

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْأَجْرُ وَذَكْرُ اللَّهِ كَثِيرًا۔

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي
الكرييم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب
العالمين.

आप का जिक्रे मुबारक

हमारे लिये अह बड़ी सआदत और मरार्त का मौका है कि
आज इस महफिल में जो नबी—ए—करीम سल्लल्लाहु अलैहि व
सल्लम के मुबारक जिक्र के लिये मुनअकिद (आयोजित) है। हमें
शिरीक होने की सआदत हासिल हो रही है। और वाकिआ यह
है कि नबी—ए—करीम سल्लल्लाहु अलैहि व राल्लम का जिक्रे
जमील इन्सान की इतनी बड़ी सआदत है कि इसके बराबर
कोई सआदत नहीं। किसी शायर ने कहा है:

जिक्रे हबीब कम नहीं वस्त्रे हबीब से

और हबीब का जिक्र भी हबीब के विसाल के कायम मकाम होता है और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस जिक्र को यह फजीलत अता फरमायी है कि जो शख्स एक मर्तबा नबी—ए—करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरुद भेजे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस पर दस रद्दमतें नाज़िल होती हैं। तो जिस महफिल का आयोजन इस मुबारक तज़किरे के लिये हो उसमें शिर्कत एक मुकर्रिर और बयान करने वाले की हैसियत से हो या सुनने वाले की हैसियत से, एक बड़ी सआदत है। अल्लाह तबारक व तआला इस की बरकतें हमें और आपको अता फरगाये। आमीन

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

की खूबियाँ और कमालात

तज़किरा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रीरते तैयबा का और सीरते तैयबा एक ऐसा मौजूद है कि अगर कोई शख्स इसके सिर्फ एक ही पहलू को बयान करना चाहे तो पूरी रात भी उसके लिये काफी नहीं हो सकती, इसलिये की सरकारे दो आलम के मुबारक वजूद में अल्लाह जल्ल शानुहू ने तमाम इन्सानी कमालात, जितने तराव्वुर में हो सकते हैं वे सारे के सारे जमा फरमाये, यह जो किरी ने कहा था कि:

हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा दारी

आंचे खूबां हमा दारंद तू तन्हा दारी

यानी दूसरे नवियों को अलग अलग जो कमालात अल्लाह तआला की तरफ से दिये गये थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम की जाते मुबारक उन सब की जामे थीं।

यह कोई मुबालगे की बात नहीं थी सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस इन्सानियत के लिये अल्लाह जल्ल शानुहू की तख्लीक का एक ऐसा शाहकार बन कर तश्रीफ लाये थे कि जिस पर किसी भी हैसियत से, किसी भी नुक़ता—ए—नज़र से गौर कीजिये तो वह कमाल ही कमाल का पेकर है, इसलिये आपकी सीरते तैयबा के किस पहलू को आदमी बयान करे, किस को छोड़े इन्सान कश—मकश में मुब्तला हो जाता है।

ज़ फ़कْ ता ब--क़दम हर कुजा कि मी नगरम
करिश्मा दामने दिल मी कशद कि जा ई जा अस्त
और ग़ालिब मरहूम ने कहा था।

ग़ालिब सना—ए—ख़वाजा बह यज़ां गुज़ाश्तेम
कां जाते पाक मरतबा दाने मुहम्मद अस्त
आजकी दुनिया का प्रोपैगन्डा

इन्सान के तो बस ही में नहीं है कि नबी—ए—करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तारीफ व तौसीफ का हक अदा कर सके, हमारे ये नापाक मुंह, ये गन्दी ज़बानें इस लायक नहीं थीं कि इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम भी लेने की इजाज़त दी जा सकती, लेकिन यह अल्लाह जल्ल शानुहू का करम है कि उसने न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि इससे रहनुमायी और फ़ायदा हासिल करने का भी मौक़ा अता फ़रमाया, इसलिये मौज़ूआत तो सीरत के बेशुमार हैं लेकिन मेरे मख़दूम और मुह्तरम हज़रत मौलाना

ज़ाहिद राशिदी साहिब अल्लाह तआला उनके फैज़ को जारी व सारी फ़रमाये, उन्होंने हुक्म दिया कि सीरते तैयबा के इस पहलू पर गुफ़तगू की जाये कि नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन्सानी हुकूक के लिये क्या रहनुमायी और हिदायत लेकर तशरीफ़ लाये, और जैसा कि उन्होंने अभी फ़रमाया कि इस मौजू को इख्तियार करने की वजह यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस प्रोपैगन्डे का बाज़ार गर्भ है कि इस्लाम को अमली तौर पर नाफ़िज़ करने से इन्सानी हुकूक (Human rights) मजरूह होंगे, और यह पब्लिसिटी की जा रही है कि गोया इन्सानी हुकूक का तस्वुर पहली बार मग़रिब के ऐवानों से बुलन्द हुआ और सबसे पहले इन्सान को हुकूक देने वाले ये अहले मग़रिब हैं, और मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि व सल्लम की लायी हुई तालीमात में इन्सानी हुकूक का "अल्लाह की पनाह" कोई तस्वुर मौजूद नहीं। यह मौजू जब उन्होंने गुफ़तगू के लिये अंता फ़रमाया तो उनके हुक्म की तामील में इसी मौजू पर आज अपनी गुफ़तगू को सीमित रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन मौजू थोड़ा सा इल्मी किस्म का है और ऐसा मौजू है कि इसमें ज़रा ज़्यादा तवज्जोह और ज़्यादा हाजिर दिमाग़ी की ज़रूरत है, इसलिये आप हज़रात से दरख्खास्त हैं कि मौजू की एहमियत के पेशे नज़र इसकी नज़ाकतें को मद्देनज़र रखते हुए मेहरबानी फ़रमा कर तवज्जोह के साथ सुनें, शायद अल्लाह तआला इस सिलसिले में हमारे दिल में कोई सही बात डाल दे।

इन्सानी हुकूक का तसव्वुर

सवाल यह पैदा होता है, जिसका जवाब देना मन्जूर है कि आया इस्लाम में इन्सानी हुकूक का कोई जामे तसव्वुर नहीं करीम सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम की तालीमात की रोशनी में है या नहीं? यह सवाल इसलिये पैदा होता है कि इस दौर का अजीब व गरीब रुझान है कि इन्सानी हुकूक का एक तसव्वुर पहले अपनी अक्ल, अपनी फ़िक्र, अपनी सोच की रोशनी में खुद मुताय्यन कर लिया कि ये इन्सानी हुकूक हैं और इनकी हिफाज़त ज़रूरी है और अपनी तरफ से खुद बनाया हुआ जो सांचा इन्सानी हुकूक का ज़ेहन में बनाया उसको एक मेयारे हक करार देकर हर चीज़ को उस मेयार पर परखने और जांचने की कोशिश की जा रही है। पहले से खुद मुताय्यन कर लिया कि फलां चीज़ इन्सानी हक हैं और फलां चीज़ इन्सानी हक नहीं हैं, और यह मुताय्यन करने के बाद अब देखा जाता है कि आया इस्लाम यह हक देता है कि नहीं? मुहम्मद रसूलुल्लाहु अलौहि व सल्लम ने यह हक दिया या नहीं दिया? अगर दिया तो गोया हम किस दरजे में इसको मानने को तैयार हैं, अगर नहीं दिया तो हम मानने के लिये तैयार नहीं हैं। लेकिन इन मुफ़्किकरीन और दानिश्वरों से और इन फ़िक्र व अक्ल के सूरमाओं से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि यह जो आपने अपने ज़ेहन से इन्सानी हुकूक के तसव्वुरात मुरत्तब किये, ये आखिर किस बुनियाद पर किये? यह जो आपने यह तसव्वुर किया कि इन्सानी हुकूक का एक पहलू यह है, हर इन्सान को यह हक ज़रूर मिलना चाहिए, यह

आखिर किस दुनियाद पर आपने कहा कि मिलना चाहिए।

इन्सानी हुकूम बदलते आये हैं

इन्सानियत की तारीख पर नज़र दौड़ा कर देखिये तो शुरू से लेकर आज तक इन्सान के ज़ेहन में इन्सानी हुकूम के तसव्वुरातं बदलते चले आये हैं। किसी दौर में इन्सान के लिये एक हक़ लाज़मी समझा जाता था, दूसरे दौर में उस हक़ को बेकार क़रार दे दिया गया, एक इलाके में एक हक़ क़रार दिया गया, दूसरी जगह उस हक़ को नाहक़ क़रार दिया गया। तारीख़े इन्सानियत पर नज़र दौड़ा कर देखिये तो आपको यह नज़र आयेगा कि जिस ज़माने में भी इन्सानी फ़िक्र ने हुकूम के जो सांचे तैयार किये, उनका प्रोपैगन्डा, उनकी पब्लिसिटी इस ज़ोर व शोर के साथ की गयी कि उसके खिलाफ़ बोलने को जुर्म क़रार दिया गया।

हुज़ूर नबी करीम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिस वक्त दुनिया में तशरीफ लाये उस वक्त इन्सानी हुकूम का एक तसव्वुर था और वह तसव्वुर सारी दुनिया के अन्दर फैला हुआ था, और उसी तसव्वुर को हक़ का मेयार क़रार दिया जाता था, ज़रूरी क़रार दिया जाता था कि यह हक़ लाज़मी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि उस ज़माने में इन्सानी हुकूम के ही के हवाले से यह तसव्वुर था कि जो शख्स किसी का गुलाम बन गया तो गुलाम बनने के बाद सिर्फ़ जान व माल और जिस्म ही उसका मन्तूक नहीं होता था, बल्कि इन्सानी हुकूम और इन्सानी मफ़ादात के हर तसव्वुर से वह ख़ाली हो जाता था, आक़ा का यह दुनियादी हक़ था कि

चाहे वह अपने गुलाम की गर्दन में तौक डाल दे और उसके पांव में बेड़ियां पहनाये, यह एक तसव्वुर था। जिन्होंने इसको जर्टीफाई (Justify) करने के लिये और इन्साफ पर आधारित करार देने के लिये फ़ल्सफ़े पेश किये थे, उनका पूरा लिट्रेचर आपको मिल जायेगा, आप कहेंगे कि यह दूर की बात है, चौदह सौ साल पहले की बात है, लेकिन अभी सौ डेढ़ सौ साल पहले की बात ले लीजिये, जब जर्मनी और इटली में फ़ाशिज़म ने और नाज़ी-इज़म ने सर उठाया था, आज फ़ाशिज़म और नाज़ी-इज़म का नाम गाली बन चुका है, और दुनिया भर में बदनाम हो चुका है, लेकिन आप उनके फ़ल्सफों को उठा कर देखिये जिस बुनियाद पर उन्होंने फ़ाशिज़म का तसव्वुर पेश किया था और नाज़ी-इज़म का तसव्वुर पेश किया था उस फ़ल्सफे को अगर खालिस अ़क्ल की बुनियाद पर आप रद्द करना चाहें तो आसान नहीं होगा। उन्होंने यह तसव्वुर पेश किया था कि जो ताक़तवर है उसका ही यह बुनियादी हक है कि वह कमज़ोर पर हुकूमत करे, और यह ताक़तवर के बुनियादी हुकूक में शामिल होता है और कमज़ोर के ज़िस्मे वाजिब है कि वह ताक़तवर के आगे सर झुकाये। यह तसव्वुर अभी सौ डेढ़ सौ साल पहले की बात है। तो इन्सानी फ़िक्र की तारीख में इन्सानी हुकूक के तसव्वुरात एक जैसे नहीं रहे, बदलते रहे। किसी दौर में किसी एक चीज़ को हक करार दिया गया और किसी दौर में किसी दूसरी चीज़ को हक करार दिया गया, और जिस दौर में जिस किस्म के हुकूक के सेट को यह कहा गया कि यह इन्सानी हुकूक का हिस्सा है उसके खिलाफ़ बात करना जबान खोलना एक जुर्म करार पाया। तो

इस बात की क्या जमानत है कि आज जिन ह्यूमैन राइट्स (इन्सानी हुकूक) के बारे में यह कहा जा रहा है कि इन इन्सानी हुकूक की हिफाज़त ज़रूरी है, यह कल को तब्दील नहीं होंगे, कल को इनके दरमियान इन्किलाब नहीं आयेगा, और कौन सी बुनियाद है जो इस बात को दुरुस्त करार दे सके?

सही इन्सानी हुकूक का मुताय्यन करना

हुज़ूर नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इन्सानी हुकूक के बारे में सब से बड़ा कन्द्रीयूशन (Contribution) यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन्सानी हुकूक के मुताय्यन करने की सही बुनियाद फ़राहम फरमायी, वह बुनियाद फ़राहम फरमायी जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया जा सके कि कौन से इन्सानी हुकूक काबिले तहफ़फुज़ हैं और कौन से इन्सानी हुकूक हिफाज़त के काबिल नहीं हैं, अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रहनुमायी और आपकी हिदायत को बुनियाद तस्लीम न किया जाये तो फिर इस दुनिया में किसी के पास कोई बुनियाद नहीं है जिसकी बुनियाद पर वह कह सके कि फलां इन्सानी हुकूक लाज़मी तौर पर हिफाज़त के काबिल हैं।

फ़िक्र की आज़ादी का झन्डा उठाने वाला इदारा

मैं आपको एक लतीफ़े की बात सुनाता हूँ कुछ वक्त पहले एक दिन मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ कर घर में बैठा हुआ था, तो बाहर से कोई साहिब मिलने के लिये आये, कार्ड भेजा तो देखा कि उनके कार्ड पर लिखा था कि यह सारी दुनिया में

एक मशहूर इदारा है जिसका नाम ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल है जो सारे इन्सानी बुनियादी हुकूक की हिफाजत का अलम-बरदार (झन्डा बुलन्द करने वाला) है, इस इदारे के एक डायरेक्टर पेरिस से पाकिस्तान आये हैं, और वह आप से मिलना चाहते हैं, खैर मैंने अन्दर बुला लिया, पहले से कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, कोई पहले से वक्त नहीं लिया था, अचानक आ गये और पाकिस्तान के विदेश मन्त्रालय के एक ज़िम्मेदार अफसर भी उनके साथ थे। आपको यह मालूम है कि ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल वह इदारा है जिसको इन्सानी हुकूक के तहफ़्रुज़ के लिये और तक़रीर व तहरीर की आज़ादी के लिये अलम-बरदार इदारा कहा जाता है, और पाकिस्तान में जो बाज़ शरअी क़वानीन नाफ़िज हुए जैसे कादयानियों के सिलसिले में पाबन्दियां आयद की गयीं तो ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल की तरफ़ से इस पर एतिराज़ व एहतिजाज़ का सिलसिला रहा। बहर हाल! यह साहिब तशीफ़ लाये तो उन्होंने आकर मुझ से कहा कि मैं आपसे इसलिये मिलना चाहता हूं कि मेरे इदारे ने मुझे इस बात पर मुकर्रर किया है कि मैं तहरीर व तक़रीर की आज़ादी और इन्सानी हुकूक के सिलसिले में साऊथ ईस्ट ऐशिया के मुल्कों की राये आम्मा का सर्वे करूं, यानी यह मालूम करूं कि दक्षिण पूर्वी ऐशिया के मुसलमान इन्सानी हुकूक, तहरीर व तक़रीर की आज़ादी और इज़्हारे राये की आज़ादी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, और वे किस हद तक इस मामले में हमसे तआवुन (सहयोग) करने पर आमादा हैं। इसका सरवे करने के लिये मैं पेरिस से आया हूं और इस सिलसिले में आपसे इन्टरव्यू करना चाहता हूं, साथ

ही उन्होंने माजिरत भी की कि चूंकि मेरे पास वक्त कम था इसलिये मैं पहले से वक्त नहीं ले सका, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे चन्द सवालात का आप जवाब दें ताकि उसकी बुनियाद पर मैं अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकूं।

आज कल का सर्वे

मैंने उन साहिब से पूछा कि आप कब तशरीफ लाये हैं? कहा कि मैं कल ही पहुंचा हूं, मैंने कहा आइन्दा क्या प्रोग्राम है? फ़रमाने लगे कि कल मुझे इस्लामाबाद जाना है, मैंने कहा उसके बाद? कहा कि इस्लामाबाद मैं एक या दो दिन ठहर कर फिर देहली जाऊंगा, मैंने कहा वहां कितने दिन कियाम फ़रमायेंगे? कहा दो दिन, मैंने कहा फिर उसके बाद? कहा कि मुझे उसके बाद मलेशिया जाना है, तो मैंने कहा कि कल आप कराची तशरीफ लाये और आज शाम को इस वक्त मेरे पास तशरीफ लाये, कल सुबह आप इस्लामाबाद चले जायेंगे, आजका दिन आपने कराची में गुज़ारा, तो क्या आपने कराची की राये आम्मा का सर्वे कर लिया? तो इस सवाल पर वह बहुत सट्टपटाएँ, कहने लगे इतनी देर में वाकई पूरा सर्वे तो नहीं हो सकता था लेकिन मैंने इस मुद्दत के अन्दर काफी लोगों से मुलाकात की और थोड़ा बहुत मुझे अन्दाज़ा हो गया, तो मैंने कहा कि आपने कितने लोगों से मुलाकात की? कहा कि पांच अफ़्राद से मैं मुलाकात कर चुका हूं छठे आप हैं, मैंने कहा कि छः अफ़्राद से मुलाकात करने के बाद आपने कराची का सर्वे कर लिया, अब इसके बाद कल इस्लामाबाद तशरीफ ले जायेंगे और वहां एक दिन कियाम फ़रमायेंगे, छः आदमियों से

आपकी वहां मुलाकात होगी, छः आदमियों से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद की राये आम्मा का सर्वे हो जायेगा। उसके बाद दो दिन देहली तशरीफ़ ले जायेंगे, दो दिन देहली के अन्दर कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे तो वहां का सर्वे आपका हो जायेगा, तो यह बतायें कि यह सर्वे का क्या तरीक़ा है? तो वह कहने लगे कि आपकी बात माकूल है, हकीक़त मैं जितना वक्त मुझे देना था उतना वक्त मैं दे नहीं पा रहा, मगर मैं क्या करूँ मेरे पास वक्त कम था, मैंने कहा कि माफ़ करना अगर वक्त कम था तो किस डाक्टर ने आपको मशिवरा दिया था कि आप सर्वे करें? इसलिये कि अगर सर्वे करना था तो फिर ऐसे आदमी को करना चाहिये जिसके पास वक्त हो, जो लोगों के पास जाकर मिल सके, लोगों से बात कर सके, अगर वक्त कम था तो फिर सर्वे की जिम्मेदारी लेने कि क्या ज़रूरत थी? तो कहने लगे कि बात तो आपकी ठीक है लेकिन बस हमें इतना ही वक्त दिया गया था इसलिये मैं मजबूर था, मैंने कहा की माफ़ कीजिये मुझे आपके इस सर्वे की संजीदगी पर शक है, मैं इस सर्वे को संजीदा नहीं समझता, इसलिये मैं इस सर्वे के अन्दर कोई पार्टी बनने के लिये तैयार नहीं हूँ और न ही आपके किसी सवाल का जवाब देने के लिये तैयार हूँ, इसलिये कि आप पांच छः आदमियों से गुफ़्तगू़ करने के बाद यह रिपोर्ट देंगे कि वहां की राये आम्मा यह है, इस रिपोर्ट की क्या क़दर व कीमत हो सकती है? लिहाज़ा मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, वह बहुत सट्पटाएँ और कहा कि आपकी बात वैसे टैकिनकली सही है लेकिन यह कि मैं आपके पास एक बात

पूछने के लिये आया हूं तो आप मेरे कुछ सवाल के जवाब ज़रूर दे दें, मैंने कहा कि नहीं, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, जब तक मुझे इस बात का यकीन न हो जाये कि आपका सर्वे हकीकत मैं इत्मी किरम का है और संजीदा है, उस वक्त तक मैं इसके अन्दर कोई पार्टी बनने के लिये तैयार नहीं हूं आप मुझे माफ़ फ़रमायें, आप मेरे मेहमान हैं मैं आपकी जो ख़ातिर तवाज़ो कर सकता हूं वह करूंगा, बाकी किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा।

क्या फ़िक्र की आज़ादी का नज़रिया बिल्कुल मुत्तलक है?

मैंने कहा कि अगर मेरी बात में कोई गैर माकूलियत है तो मुझे समझा दीजिये कि मेरा मौकफ़ (stand) गलत है और फ़लां बुनियाद पर गलत है, कहने लगे बात तो आपकी माकूल है लेकिन मैं आपसे वैसे बिरादराना तौर पर यह चाहता हूं कि आप कुछ जवाब दें, मैंने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा,

अल्बत्ता मुझे इजाज़त दें तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं कहने लगे कि सवाल तो मैं करने के लिये आया था लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो ठीक है आप सवाल कर लें, आप क्या सवाल करना चाहते हैं? मैंने कहा कि मैं आप से इजाज़त तलब कर रहा हूं अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं सवाल कर लूंगा, अगर इजाज़त नहीं देंगे तो सवाल नहीं करूंगा और हम दोनों की मुलाकात हो गयी बात ख़त्म हो गयी। कहने लगे नहीं आप सवाल कर लीजिये, तो मैंने कहा कि मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं कि

आप राये के इज़्हार की आज़ादी और इन्सानी हुकूक का झन्डा लेकर चले हैं तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि यह राये के इज़्हार की आज़ादी जिसकी आप तब्लीग करना चाहते हैं और कर रहे हैं यह राये के इज़्हार की आज़ादी (Absolute) यानी मुत्लक है, इस पर कोई कैद कोई पाबन्दी और कोई शर्त आयद नहीं होती या यह कि राये के इज़्हार की आज़ादी पर कुछ कैदें व कुछ शर्तें भी आयद होनी चाहियें? कहने लगे मैं आपका मतलब नहीं समझा? तो मैंने कहा कि मतलब तो अल्फ़ाज़ से वाज़ेह (स्पष्ट) है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप जिस राये के इज़्हार की आज़ादी की तब्लीग करना चाहते हैं तो क्या वह ऐसी है कि जिस शख्स की जैसी राये हो उसका वैसे ही खुलेआम इज़्हार करे, उसकी ऐलानिया तब्लीग करे, ऐलानिया उसकी तरफ़ दावत दे और उस पर कोई रोक ठोक, कोई पाबन्दी आयद न हो, यह मक्सद है? अगर यह मक्सद है तो फ़रमाइये कि अगर एक शख्स यह कहता है कि मेरी राये यह है कि इन दौलत मंद लोगों ने बहुत पैसे कमा लिये और ग़रीब लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिये इन दौलत मंदों के यहां डाका डाल कर और इनकी दुकानों को लूट कर ग़रीबों को पैसा पहुंचाना चाहिये, अगर कोई शख्स दियानत दारी से यह राये रखता है और इसकी तब्लीग करे और इराका इज़्हार करे, और लोगों को दावत दे कि आप आइये और मेरे साथ शामिल हो जाइये और ये जितने भी दौलत मंद लोग हैं रोज़ाना इन पर डाका डाला करेंगे, उनका माल लूट कर ग़रीबों में तक़सीम करेंगे, तो आप ऐसी राये के इज़्हार की आज़ादी के हामी होंगे या नहीं? और इसकी इजाज़त देंगे या

नहीं? कहने लगे इसकी इजाजत नहीं दी जायेगी कि लोगों का माल लूट कर दूसरों में तकरीम कर दिया जाये। तो मैंने कहा कि यही मेरा मतलब था कि अगर इसकी इजाजत नहीं दी जायेगी तो इसके मायने यह है कि राये के इज़्हार की आज़ादी इतनी मुत्तलक नहीं है कि इस पर कोई कैद, कोई शर्त, कोई पाबन्दी आयद न की जा सके, कुछ न कुछ कैद और शर्त लगानी पड़ेगी। कहने लगे हाँ कुछ न कुछ तो लगानी पड़ेगी, तो मैंने कहा कि वह कैद किस बुनियाद पर लगायी जायेगी और कौन लगायेगा? किस बुनियाद पर यह तय किया जायेगा कि फ़लां किस्म की राये का इज़्हार करना तो जायज़ है और फ़लां किस्म की राये का इज़्हार करना ना जायज़ है? फ़लां किस्म की तब्लीग करना जायज़ है और फ़लां किस्म की तब्लीग करना जायज़ नहीं है? इसको मुताख्यन कौन करेगा, और किस बुनियाद पर करेगा? इस सिलसिले में आपके इदारे ने कोई इल्मी सर्वे किया है और इल्मी तट्टीक की हो तो मैं उसको जानना चाहता हूँ, कहने लगे इस नुक्ता—ए—नज़र पर हमने इससे पहले गौर नहीं किया, तो मैंने अर्ज़ किया कि देखिये! आप इतने बड़े मिशन को लेकर चले हैं, पूरी इन्सानियत को राये के इज़्हार की आज़ादी दिलाने के लिये, उनको हुकूक दिलाने के लिये चले हैं लेकिन आपने बुनियादी सवाल नहीं सोचा, आखिर राये के इज़्हार की आज़ादी किस बुनियाद पर तय होनी चाहिये? क्या उसूल होने चाहियें? क्या शर्तें और क्या कैदें होनी चाहियें? तो कहने लगे अच्छा आप ही बता दीजिये, तो मैंने कहा कि मैं तो पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं किसी सवाल का जवाब देने बैठा ही नहीं, मैं तो आपसे

पूछ रहा हूं कि आप मुझे बतायें कि क्या कहें और शर्तें होनी चाहियें और क्या नहीं, मैंने तो आपसे सवाल किया है कि आपके नुक़ता—ए—नज़र से और आपके इदारे के नुक़ता—ए—नज़र से इसका क्या जवाब होना चाहिये?

आपके पास कोई मेयार नहीं है

कहने लगे कि मेरे इल्म में अभी तक कोई ऐसा फारमूला नहीं है, एक फारमूला ज़ेहन में आता है कि ऐसी राये के इज़्हार की आजादी जिसमें वाईलेस हो जिसमें दूसरे के राथ तशह्वुद हो तो ऐसी इज़्हारे राये की आजादी नहीं होनी चाहिये, मैंने कहा कि यह तो आपके ज़ेहन में आया कि वाईलेस की पाबन्दी होनी चाहिये, किसी और के ज़ेहन में कोई और बात भी आ सकती है कि फ़लां किरम की पाबन्दी भी होनी चाहिये, यह कौन तय करेगा और किस बुनियाद पर तय करेगा कि किस किरम की राये के इज़्हार की खुली छूट होनी चाहिये और किस की नहीं? इसका कोई फारमूला और कोई मेयार होना चाहिये, कहने लगे आपसे गुफ़तगू के बाद यह अहम सवाल मेरे ज़ेहन में आया है और मैं आपने ज़िम्मेदारों तक इराको पहुचाऊंगा और उसके बाद इस पर अगर कोई लिट्रेचर मिला तो आपको भेजूंगा, तो मैंने कहा इन्शा—अल्लाह मैं मुन्तज़िर रहूंगा कि अगर आप इराके ऊपर कोई लिट्रेचर भेज राकें और इराका कोई फ़ल्साफ़ा बता सकें तो मैं एक तालिब इल्म की हैरियत में इसका मुश्ताक हूं, जब वह चलने लगे तो मैंने उस वक़्त उनसे कहा कि मैं संजीदगी से आपसे कह रहा हूं यह बात मजाक की नहीं है, संजीदगी से चाहता हूं कि इस मसले

पर गौर किया जाये, इसके बारे में आप अपना नुक्ता—ए—नज़र भेजें लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने आपके नज़रियात और फ़ल्सफ़े हैं उन सब को मद्दे नज़र रख लीजिये, कोई ऐसा मुत्तफ़िका फारमूला आप पेश कर नहीं सकेंगे, जिस पर सारी दुनिया मुत्तफ़िक हो जाये कि फ़लां बुनियाद पर इज़्हारे राये की आज़ादी होनी चाहिये और फ़लां बुनियाद पर नहीं होनी चाहिये। तो मैं यह आपको बता देता हूं और अगर पेश कर सकें तो मैं मुन्तज़िर हूं आज डेढ़ साल हो गया है कोई जवाब नहीं आया।

इन्सानी अक़ल महदूद है

हकीकत यह है कि यह मुज्मल नारे, कि साहिब! इन्सानी हुकूम होने चाहिएं, राये के इज़्हार की आज़ादी होनी चाहिये तहरीर व तकरीर की आज़ादी होनी चाहिये इनकी ऐरी कोई बुनियाद जिस पर सारी दुनिया मुत्तफ़िक हो सके यह किसी के पास नहीं है और न हो सकती है। क्यों, इसलिये कि जो कोई भी ये बुनियादें तय करेगा वह अपनी सौच और अपनी अक़ल की बुनियाद पर करेगा, और कभी दो इन्सानों की अक़ल एक सी नहीं होती, दो गुर्पों की अक़ल एक जैसी नहीं होती, दो ज़मानों की अक़लें एक जैसी नहीं होतीं, इसलिये उनके दरभियान इख़तिलाफ़ रहा है और रहेगा, और इस इख़तिलाफ़ को ख़त्म करने का कोई रास्ता नहीं, वजह इसकी यह है कि इन्सानी अक़ल अपनी एक लिमीटेशन (Limitation) रखती है, इसकी हदें हैं उससे आगे वह बढ़ नहीं पाती, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लेम का इस पूरी इन्सानियत के लिये

सबसे बड़ा एहसाने अःजीम यह है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन तमाम मामलात को तय करने की जो बुनियाद फ़राहम (जमा) की है वह यह है कि वह ज़ात जिसने इस पूरी दुनिया को पैदा किया, वह ज़ात जिसने इन्सानों को पैदा किया उसी से पूछो कि कौन से इन्सानी हुकूक काबिले हिफाज़त हैं और कौन से इन्सानी हुकूक काबिल हिफाज़त नहीं हैं? वही बता सकते हैं उसके सिवा कोई नहीं बता सकता।

इस्लाम को तुम्हारी ज़रूरत नहीं

जो लोग कहते हैं कि पहले हमें यह बताओ कि इस्लाम हमें क्या हुकूक देता है फिर हम इस्लाम को मानेंगे, मैंने कहा इस्लाम को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, अगर पहले अपने ज़ेहन में तय कर लिया कि ये हुकूक जहां मिलेंगे वहीं जायेंगे और उसके बाद ये हुकूक चूंकि इस्लाम में मिल रहे हैं इस वार्ते मैं जा रहा हूँ तो याद रखो इस्लाम को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, इस्लाम का मफ़्हूम यह है कि पहले यह अपनी आजिज़ी दरमांदगी और शिकस्तगी पेश करो कि इन मसाइल को हल करने में हमारी अःक्ल आजिज़ है और हमारी सोच आजिज़ है, हमें वह बुनियाद धाहिये जिसकी बुनियाद पर हम मसाइल को हल करें, जब आदमी इस नुक्ता—ए—नज़र से इस्लाम की तरफ रुजू करता है तो फिर इस्लाम हिदायत और रहनुमाई पेश करता है, “**هَذِهِ الْهِدَايَةُ مُتَّكِّفَةٌ**” यह हिदायत मुत्तकीन के लिये है, “मुत्तकीन के क्या मायने हैं? मुत्तकीन के यह मायने हैं कि जिसके दिल में तलब यह हो कि हम अपनी आजिज़ी का

इकरार करते हैं, दरमांदगी का ऐतराफ़ करते हैं, फिर अपने मालिक और ख़ालिक के सामने रुजू करते हैं कि आप हमें बतायें कि हमारे लिये क्या रास्ता है?

इसलिये यह जो आजकी दुनिया के अन्दर एक फैशन बन गया कि साहिब! पहले यह बताओ की इन्सानी हुकूम क्या मिलेंगे, तब इस्लाम में दाखिल होंगे, तो यह तरीका इस्लाम में दाखिल होने का नहीं है।

सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब इस उम्मत को इस्लाम का पैग़ाम दिया, दावत दी तो आपने जितने गैर मुसलिमों को दावत दी किसी जगह आपने यह नहीं फरमाया कि इस्लाम में आ जाओ तुम्हे फ़लां फ़लां हुकूम मिल जायेंगे, बल्कि यह फरमाया कि मैं तुमको अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ दावत देता हूं।

ऐ लोगो! ﷺ (ला इला—ह इल्लल्लाहु) कह दो कामयाब हो जाओगे। इसलिये माद्दी मुनाफ़ा, माद्दी मसलिहतों, माद्दी ख्वाहिशात की ख़ातिर अगर कोई इस्लाम में आना चाहता है तो वह दर हकीकत इख्लास के साथ सही रास्ता इस्तियार नहीं कर रहा है, इसलिये पहले वह अपनी आजिज़ी का इज़्हार करे कि हमारी अक्लें इन मसाइल को हल करने से आजिज़ हैं।

अक्ल के काम का दायरा

याद रखिये कि यह मौजू बड़ा लम्बा है कि इन्सानी अक्ल बेकार नहीं है, अल्लाह तआला ने हमें जो अक्ल अता फ़रमायी यह बड़ी कार आमद चीज़ है, मगर यह उस हद तक कार

आमद है जब तक इसको इसकी हंदों में इस्तेमाल किया जाये, और अगर हंदों के बाहर इसको इस्तेमाल करोगे तो वह ग़लत जवाब देना शुरू कर देगी, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक और इल्म का ज़रिया अंता फ़रमाया है, उसका नाम “वही—ए—इलाही” (खुदाई पैगाम) है जहां अ़क्ल जवाब दे जाती है और कार आमद नहीं रहती “वही—ए—इलाही” उस जगह पर आकर रहनुमायी करती है।

हवास के काम का दायरा

देखो! अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आखें दीं, कान दिये, यह ज़बान दी, आंख से देख कर हम बहुत सी चीज़ें मालूम करते हैं, कान से सुन कर बहुत सारी चीज़ें मालूम करते हैं, ज़बान से चख कर बहुत सारी चीज़ें मालूम करते हैं, लेकिन अल्लाह तआला ने हर एक का अपना एक फ़ंकशन रखा है। हर एक का अपना अमल है, उस हद तक वह काम देता है, उससे बाहर काम नहीं देता। आंख देख सकती है सुन नहीं सकती, कोई शख्स यह चाहे कि मैं आंख से सुनूं तो वह अट्टमक है। कान सुन सकता है देख नहीं सकता, कोई शख्स यह चाहे कि कान से मैं देखने का काम लूं तो वह बे—वकूफ है, इस वारते कि वह उस काम के लिये नहीं बनाया गया, और एक हद ऐसी आती है जहां न आंख काम देती है, न कान काम देता है, न ज़बान काम देती है, उस मौके के लिये अल्लाह तआला ने अ़क्ल अंता फ़रमायी, वहां अ़क्ल इन्सान की रहनुमायी करती है।

तन्हा अङ्कल काफी नहीं

देखिये यह कुर्सी हमारे सामने रखी है आंख से देख कर मालूम किया कि इसके हैन्डिल पीले रंग के हैं, हाथ से छू कर मालूम किया कि ये चिकने हैं, लेकिन तीसरा सवाल यह पैदा होता है कि यह आया खुद ब-खुद वजूद में आ गयी या किसी ने इसको बनाया? तो वह बनाने वाला मेरी आंखों के सामने नहीं है, इस वास्ते मेरी आंख भी इसका जवाब नहीं दे सकती, मेरा हाथ भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इस मौके के लिये अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी चीज़ अंता फरमायी जिसका नाम अङ्कल है, अङ्कल से मैंने यह सोचा कि यह जो हैन्डिल है यह बड़े कायदे का बना हुआ है, यह खुद से वजूद में नहीं आ सकता किसी बनाने वाले ने इसको बनाया है, यहां अङ्कल ने मेरी रहनुमायी की है, लेकिन एक चौथा सवाल आगे चल कर पैदा होता है कि इस कुर्सी को किस काम में इस्तेमाल करना चाहिये, किस में नहीं करना चाहिये? कहां इसको इस्तेमाल करने से फायदा होगा और कहां नुकसान होगा? इस सवाल को हल करने के लिये अङ्कल भी नाकाम हो जाती है, इस मौके पर अल्लाह तआला ने एक चौथी चीज़ अंता फरमायी जिसका नाम “वही—ए—इलाही” है। वह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से “वही” होती है, वह ख़ैर और शर (अच्छे और बुरे) का फैसला करती है, वह नफे और नुकसान का फैसला करती है। जो बताती है कि इस चीज़ में ख़ैर है, इस में बुराई है, इसमें नफा है इसमें नुकसान है, “वही” आती ही उस मकाम पर है जहां इन्सान की अङ्कल की परवाज़ खत्म हो जाती है। इसलिये जब अल्लाह और उसके

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हुक्म आ जाये और वह अपनी अङ्कल में न आये, समझ में न आये तो इस वजह से उसको रद्द कर देना कि साहिब मेरी तो अङ्कल में नहीं आ रहा है लिहाज़ा में इसको रद्द करता हूँ, यह दर हकीकत इस अङ्कल की और “वही—ए—इलाही” की हकीकत ही से जहालत का नतीजा है, अगर समझ में आता तो “वही” आने की ज़रूरत क्या थी? “वही” तो आयी ही इसलिये कि तुम अपनी तन्हा अङ्कल के ज़रीये इस मकाम तक नहीं पहुँच सकते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने “वही” के ज़रिये तुम्हारी मदद फ़रमायी है। अगर अङ्कल से खुद ब—खुद कोई फ़ैसला होता तो अल्लाह तआला एक हुक्म नाज़िल कर देते बस, कि हमने तुम्हें अङ्कल दी है, अङ्कल के मुताबिक् जो चीज़ अच्छी लगे वह करो और जो बुरी लगे उससे बच जाओ, न किसी किताब की ज़रूरत, न किसी रसूल की ज़रूरत, न किसी पैग़म्बर की ज़रूरत, न किसी मज़हब और दीन की ज़रूरत। लेकिन जब अल्लाह ने इस अङ्कल को देने के बावजूद इस पर बस नहीं फ़रमाया बल्कि रसूल भेजे, किताबें उतारीं, “वही” भेजी, तो इसके मायने यह है कि तन्हा अङ्कल इन्सान की रहनुमायी के लिये काफ़ी नहीं थी। आज कल लोग कहते हैं कि साहिब हमें चूंकि इसका फ़ल्सफ़ा समझ में नहीं आया, इसलिये हम नहीं मानते, तो दर हकीकत दीन की हकीकत से ना वाकिफ़ हैं, हकीकत से जाहिल हैं, समझ में आ ही नहीं सकता।

और यहीं से एक और बात का जवाब मिल जाता है जो आज कल बड़ी करस्रत से लोगों के ज़ेहनों में पैदा होता है। सवाल यह पैदा होता है कि कुरआने करीम ने चांद पर जाने

का कोई तरीका नहीं बताया, ख़ला को फ़तह करने का कोई फ़ारमूला मुहम्मद रसूलुल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नहीं बताया। ये सब कौमें इस किस्म के फ़ारमूले हासिल करके कहां से कहां पहुंच गयीं और हम कुरआन बग़ल में रखने के बावजूद पीछे रह गये, तो कुरआन और सुन्नत ने हमें ये फ़ारमूले क्यों नहीं बतलाये?

जवाब इसका यही है कि इसलिये नहीं बताया की वह चीज़ अ़क्ल के दायरे की थी, अपनी अ़क्ल से अपने तर्जुबे और अपनी मेहनत से जितना आगे बढ़ोगे उसके अन्दर तुम्हें इन्किशाफ़ात होते चले जायेंगे, वह तुम्हारे अ़क्ल के दायरे की चीज़ थी, अ़क्ल उसका शक़र कर सकती थी, इस वास्ते इसके लिये नबी भेजने की ज़रूरत नहीं थी, इसके लिये रसूल भेजने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन किताब और रसूल की ज़रूरत वहां थी जहां तुम्हारी अ़क्ल आजिज़ थी, जैसे की ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल वाले आदमी की अ़क्ल आजिज़ थी कि बुनियादी हुकूक और तहरीर व तक़रीर की आज़ादी के ऊपर क्या पाबंदियां होनी चाहियें, क्या नहीं होनी चाहियें। इस मामले में इंसान की अ़क्ल आजिज़ थी इसके लिये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तश्रीफ़ लाये।

हुकूक की हिफ़ाज़त किस तरह हो?

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बताया कि फ़लां हक़ इन्सान का ऐसा है जिसकी हिफ़ाज़त ज़रूरी है और फ़लां हक़ ऐसा है जिसकी हिफ़ाज़त की ज़रूरत नहीं है, इसलिये पहले यह समझ लो कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम का इन्सानी हुकूक के सिलसिले में सब से बड़ा कन्द्रीव्यूशन यह है कि इन्सानी हुकूक के तअ्युन (मुताय्यन करने) की बुनियाद फ़राहम (इकट्ठी) फ़रमायी, कि कौन सा इन्सानी हक़ पाबन्दी के काबिल है और कौन सा नहीं। यह बात अगर समझ में आ जाये तो अब देखिये कि मुहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कौन से हुकूक इन्सान को अंता फ़रमाये, किन को रिकगनाईज़ (Recognize) किया, किन हुकूक को मुताय्यन फ़रमाया, और फिर उसके ऊपर अमल करके दिखाया। आज कल की दुनिया में रिकगनाईज़ करने वाले तो बहुत और उसका ऐलान करने वाले बहुत और उसके नारे लगाने वाले बहुत, लेकिन जब उन नारों पर, उन हुकूक पर अमल करने का सवाल आ जाये तो वही ऐलान करने वाले जो यह कहते हैं कि इन्सानी हुकूक काबिले हिफाज़त हैं, जब उनका अपना मामला आ जाता है, अपने मफ़ाद से टक्काव पैदा हो जाता है तो देखिये फिर इन्सानी हुकूक किस तरह पामाल होते हैं।

आजकी दुनिया का हाल

इन्सानी हुकूक का एक तकाज़ा यह है कि अक्सरियत की हुकूमत होनी चाहिये, प्रजा तंत्र, सैकूलर डेमोकरेसी। आज अमेरिका की एक किताब दुनिया भर में बहुत मशहूर हो रही है “दि एन्ड ऑफ़ हिस्ट्री एन्ड दि लास्ट मैन” (The end of History and the last man) आज कल के सारे पढ़े लिखे लोगों में मशहूर हो रही है, इसका सारा फ़ल्सफ़ा यह है कि इन्सान की हिस्ट्री का ख़ात्मा जमहूरियत (प्रजा तंत्र) के ऊपर हो गया,

और अब इन्सानियत की तरक्की और कामयाबी के लिये कोई नया नज़रिया वजूद में नहीं आयेगा, यानी ख़त्मे नुबुव्वत पर हम आप यकीन रखते हैं अब यह “ख़त्मे नज़रियात” हो गया, यह कि डेमोकरेसी के बाद कोई नज़रिया इन्सानी फ़लाह का वजूद में आने वाला नहीं है।

एक तरफ़ तो यह नारा है कि अक्सरियत जो बात कह दे वह हक़ है, उसको कुबूल करो, उसको मानो, लेकिन वही अक्सरियत अगर “जज़ाइर” में कामयाब हो जाती है और चुनाव में अक्सरियत हासिल कर लेती है तो उसके बाद जमहूरियत वाकी नहीं रहती, फिर उसका वजूद जमहूरियत के लिये ख़तरा बन जाता है। तो नारे लगा लेना और बात है लेकिन उसके ऊपर अमल करके दिखाना मुश्किल है।

ये नारे लगा लेना बहुत अच्छी बात है कि सब इन्सानों को उनके हुकूक मिलने चाहियें, उनको राये के इज्हार की आज़ादी होनी चाहिये, लोगों को खुद इरादी का हक़ मिलना चाहिये, और यह सब कुछ सही लेकिन दूसरी तरफ़ लोगों का खुद इरादी का हक़ पामाल करके उनको जबर और तशद्दुद की चक्की में पीसा जा रहा है, उनके घरे में आवाज़ उठाते हुए ज़मीन थर्राती है और वही जमहूरियत (प्रजा तत्र) और आज़ादी की मुनादी करने वाले उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयां करते हैं। तो बात सिर्फ़ यह नहीं है कि ज़बान से कह दिया जाये कि इन्सानी हुकूक क्या है? बात यह है कि जो बात ज़बान से कहो उसको करके दिखाओ और यह काम किया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि आपने जो हक़ दिया उस पर अमल करके दिखाया।

वादे की खिलाफ वर्जी (उल्लंघन) नहीं हो सकती

गुज़वा—ए—बदर का मौका है और हज़रत हुजैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद माजिद के साथ सफ़र करते हुए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ियारत के लिये मदीने मुनव्वरा जा रहे हैं, रात्रे में अबू जहल के लश्कर से टकराव हो जाता है और अबू जहल का लश्कर कहता है, हम तुम्हें मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पारा जाने नहीं देंगे, इस लिये कि तुम जाओगे तो हमारे खिलाफ उनके लश्कर में शामिल होकर जंग करोगे, ये बेचारे परेशान होते हैं कि हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ियारत के लिये जाना था और इन्होंने ने रोक लिया, आखिर कार उन्होंने कहा कि तुम्हें इस शर्त पर छोड़ेंगे कि हम रो वादा करो, कि जाओगे और जाने के बाद उनके लश्कर में शामिल नहीं होगे, हम से जंग नहीं करोगे, अगर यह वादा करते हो तो हम तुम्हें छोड़ते हैं, हज़रत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके वालिद ने वादा कर लिया कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़्र ज़ियारत करेंगे उनके लश्कर में शामिल होकर आपसे लड़ेंगे नहीं। युनाचे उन्होंने उनको छोड़ दिया, अब ये दोनों हज़रात हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में पहुंच गये, जब कुफ़्फार के साथ जंग का वक्त आया और कैसी जंग, एक हजार मक्का मुकर्रमा के हथियार बद सूरमा और उसके मुकाबले में 313 निहत्ते जिनके पास आठ तलवारें, दो धोड़े, सत्तर ऊंट, आठ तलवारों के सिवा तीन सौ तेरह आदमियों के पास और तलवार भी नहीं थी, किसी ने लाठी उठायी हुई है।

किसी ने पत्थर उठाया हुआ है, इस मौके पर एक एक आदमी की कीमत थी, एक एक इन्सान की कीमत थी, किसी ने कहा या रसूलल्लाह ये नये आदमी आये हैं, आपके हाथ पर मुसलमान हुए हैं और इनसे ज़बरदस्ती समझौता कराया गया है, यह वादा ज़बरदस्ती लिया गया है कि तुम जंग में शामिल नहीं होंगे, तो इस वासते इनको इजाज़त दीजिये कि जिहाद में शामिल हो जायें और जिहाद भी कौन सा? "यौमुल फुरक्कान" जिसके अन्दर शामिल होने वाला हर फर्द "बदरी" बन गया, जिसके बारे में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह तआला ने "बदर गालों" के सारे अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमाये हैं। इतना बड़ा ग़ज़वा हो रहा है, हुज़ैफ़ा बिन यमान रजियल्लाहु अन्हु चाहते हैं कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ शामिल हो जायें, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जवाब यह है कि नहीं, जो अबू जहल के लश्कर से वादा करके आये हो कि जंग नहीं करोगे तो मोमिन का काम वादे की खिलाफ़ वर्जी नहीं है, इसलिये तुम इस जंग में शामिल नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जंग में शामिल होने से रोक दिया। यह है कि जब वक्त पड़े उस वक्त इन्सान उसूल को निभाए, यह नहीं कि ज़बान से तो कह दिया कि हम इन्सानी हुकूम के अलम-बरदार (झंडा बुलन्द करने वाले) हैं और हीरोशिमा और नागासाकी पर बे-गुनाह बच्चों को, बे-गुनाह औरतों को तबाह बर्बाद कर दिया कि उनकी नस्लें तक माझूर पैदा हो रही हैं, और जब अपना वक्त पड़े जाये तो उसमें कोई अख्लाक, कोई किर्दार देखने वाला न हो।

तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन्सानी हुकूक बताए भी और उन पर अमल करके भी दिखाया। क्या हुकूक बताये? अब सुनिये:

इस्लाम में जान की हिफाज़त

इन्सानी हुकूक में सब से पहला हक इन्सान की जान का हक है, हर इन्सान की जान की हिफाज़त इन्सान का बुनियादी हक है कि कोई उसकी जान पर दरत्त दराज़ी ना करे:

وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

यानी किसी की भी जान के ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह हुकम दे दिया, और क्या हुकम दे दिया कि जंग में जा रहे हो, कुफ़्फ़ार से मुकाबला है, दुश्मन से मुकाबला है इस हाल में भी तुम्हें किसी बच्चे पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है, किसी औरत पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है, किसी बूढ़े पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल जिहाद के मौके पर भी पाबन्दी लागू कर दी गयी है। यह पाबन्दी ऐसी नहीं है कि सिर्फ ज़बानी जमा ख़र्च हो, जैसा कि मैंने अभी बताया कि साहिब ज़बानी तौर पर तो कह दिया और तहस नहरा कर दिया। सारे बच्चों को भी और औरतों को भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जानिसार सहाबा—ए—किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उस पर अमल करके दिखाया, उनका हाथ किसी बूढ़े पर, किसी औरत पर, किसी बच्चे पर नहीं उठा, यह है जान की हिफाज़त।

इस्लाम में माल की हिफाज़त

माल की हिफाज़त इन्सान का दूसरा बुनियादी हक है:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَ كَعْبَتِيْنَ إِلَّا بِالْبَاطِلِ

यानी बातिल के साथ नाहक तरीके से किसी का माल न खाओ। इस पर अमल करके कैसे दिखाया? यह नहीं है कि तावील करके तौजीह करके माल खा गये, कि जब तक अपने मफादात वाबरता थे उस वक्त तक बड़ी ईमानदारी थी, बड़ी अमानत थी, लेकिन जब मामला जंग का आ गया, दुश्मनी हो गयी तो अब यह है कि साहिब तुम्हारे एकाउन्टस् मुन्जमिद कर दिये जायेंगे, जब मुकाबला हो गया तो उस वक्त में हुकूमे इन्सानी गायब हो गये, अब माल की हिफाज़त कोई हकीकत नहीं रखती।

मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो मिसाल पेश की वह अर्ज करता हूं। ग़ज़वा—ए—खैबर है, यहूदियों के साथ लड़ाई हो रही है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सहाबा—ए—किराम रजियल्लाहु अन्हुम के साथ खैबर के ऊपर हमला कर रहे हैं और खैबर के किले के गिर्द धिराव किये हुए हैं, आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फौज खैबर के किले के इर्द गिर्द पड़ी हुई है, खैबर के अन्दर एक बेथारा छोटा सा चर्वाहा उज्रत पर बकरियां चराया करता था, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि खैबर से बाहर आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लश्कर पड़ा हुआ है जाकर देखूं तो सही, आपका नाम तो बहुत सुना है “मुहम्मद” सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क्या

कहते हैं और कैसे आदमी हैं? बकरियां लेकर खैबर के किले से निकला और आं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तलाश में मुसलमानों के लश्कर में दाखिल हुआ, किसी से पूछा कि भाई मुहम्मद कहां हैं? (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) लोगों ने बताया कि फ़लां खेमे के अन्दर हैं, वह कहता है कि मुझे यकीन नहीं आया कि उस खेमे के अन्दर, यह खजूर का मामूली सा खेमा झोंपड़ी, इसमें इतना बड़ा सरदार, इतना बड़ा नबी वह इस खेमे के अन्दर है? लेकिन जब लोगों ने बार बार कहा, तो उसमें चला गया, अब जब दाखिल हुआ तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तश्रीफ़ फरमा थे, जाकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्या पैगाम लेकर आये हैं, आपका पैगाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुख्तसर तौर पर बताया, तौहीद के अकीदे की वज़ाहत (खुलासा) फरमाई, कहने लगा अगर मैं आपके इस पैगाम को कुबूल कर लूं तो मेरा क्या मकाम होगा? आं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें सीने से लगायेंगे, तुम हमारे भाई हो जाओगे और जो हुकूक दूरारों को हासिल हैं वे तुम्हें भी हासिल होंगे।

कहने लगा आप मुझ से ऐसी बात करते हैं, मज़ाक करते हैं, एक काला भुजंग चरवाहा हैशी, मेरे बदन से बदबू उठ रही है, इस हालत के अन्दर आप मुझे सीने से लगायेंगे और यहां तो मुझे धुतकारा जाता है, मेरे साथ अपमान भरा बर्ताव किया जाता है, तो आप यह जो मुझे सीने से लगायेंगे तो किस वजह से लगायेंगे? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

फरमाया! अल्लाह की मख़्लूक अल्लाह की निगाह में सब बराबर हैं, इस वारते हम तुम्हें सीने से लगायेंगे। कहा कि अगर मैं आपकी बात मान लूं, मुसलमान हो जाऊं तो मेरा अन्जाम क्या होगा, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अगर इसी जंग के अन्दर मर गये तो मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह तबारक व तभाला तुम्हारे चेहरे की सियाही को रोशनी से बदल देगा और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से बदल देगा, मैं गवाही देता हूं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब यह फरमाया उस अल्लाह के बन्दे के दिल पर असर हुआ, कहने लगा कि अगर आप यह फरमाते हैं तो:

“अशहदु अल्ला इला—ह व अशहदु अन्न मुहम्मद—रसूलुल्लाह”

अर्ज किया मैं मुसलमान हो गया, अब जो हुक्म देंगे वह करने को तैयार हूं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सब से पहला हुक्म उसको यह नहीं दिया कि नमाज़ पढ़ो, यह नहीं दिया कि रोज़ा रखो, पहला हुक्म यह दिया कि जो बकरियां तुम चराने के लिये लेकर आये हो ये तुम्हारे पास अमानत हैं, पहले इन बकरियों को वापस देकर आओ और उसके बाद आकर पूछना कि क्या करना है? बकरियां किस की, यहूदियों की, जिनके ऊपर हमला कर रहे हैं, जिनके साथ जंग छिड़ी हुई है, जिनका माले ग़नीमत छीना जा रहा है, लेकिन फरमाया कि यह माले ग़नीमत जंग की हालत में छीनना तो जायज़ था लेकिन तुम लेकर आये हो एक समझौते के तहत,

और उस समझौते का तकाज़ा यह है कि उनके माल की हिफ़ाज़त की जाये। यह उनका हक़ है, लिहाज़ा उनको मुहुर्चा कर आओ। उसने कहा कि या रसूलल्लाह बकरियां तो उन दुश्मनों की हैं जो आपके खून के प्यासे हुए हैं और फिर आप वापस लौटाते हैं, फरमाया कि हाँ! पहले इनको वापस लौटाओ, चुनांचे बकरियां वापस लौटायी गयीं।

कोई मिसाल पेश करेगा कि ऐन मैदाने जंग में ऐन हालते जंग के अन्दर इन्सानी माल की हिफ़ाज़त का हक़ अदा किया जा रहा हो? बकरियां वापस कर दी तो आकर पूछा कि अब क्या करूँ? फरमाया कि न तो नमाज़ का वक्त है कि तुम्हें नमाज पढ़वाऊँ, न रमज़ान का महीना है कि रोज़े रखवाऊँ, न तुम्हारे पास माल है कि ज़कात दिलवाऊँ। एक ही इबादत इस वक्त हो रही है जो कि तलवार की छांव के नीचे अदा की जाती है, वह है जिहाद, इसमें शामिल हो जाओ, चुनांचे वह उसमें शामिल हो गया, उसका अस्वद राई नाम आता है। जब जिहाद ख़त्म हुआ तो आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल था कि जंग ख़त्म होने के बाद देखने जाया करते थे कि कौन जख्मी हुआ, कौन शहीद हुआ, तो देखा की एक जगह सहाबा—ए—किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का मज़्मा लगा हुआ है, आपस में सहाबा—ए—रज़ियल्लाहु अन्हुम पूछ रहे हैं कि यह कौन आदमी है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछा कि क्या मामला है? तो सहाबा—ए—किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बताया कि यह ऐसे शख्स की लाश मिली है कि जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। आप सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम ने करीब पहुंच कर देखा और फ़रमाया तुम नहीं पहचानते मैं पहचानता हूं और मेरी आंखे देख रही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जन्नतुल फिरदौस के अस्तर कौसर व तस्‌नीम से गुरुत्व दिया है और इसके चेहरे की सियाही को नूर और रोशनी से बदल दिया है, इसकी बदबू को खुशबू से तब्दील फ़रमा दिया है।

बहर हाल! यह बात कि माल की हिफाज़त हो सिर्फ़ कह देने की बात नहीं, नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने करके दिखाया, काफिर के माल की हिफाज़त दुश्मन के माल की हिफाज़त जो समझौते के तहत हो यह माल की हिफाज़त है।

इस्लाम में आबरू की हिफाज़त

तीसरा इन्सान का बुनियादी हक़ यह है कि उसकी आबरू महफूज़ हो, आबरू की हिफाज़त का नारा लगाने वाले बहुत हैं लेकिन यह पहली बार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बताया कि इन्सान की आबरू का एक हिस्सा यह भी है कि पीठ पीछे उसकी बुराई न की जाये, ग़ीबत न की जाये, आज बुनियादी हुकूम का नारा लगाने वाले बहुत, लेकिन कोई इस बात का एहितमाम करे कि किसी का पीठ के पीछे ज़िक्र बुराई से न किया जाये, ग़ीबत करना भी हराम है, ग़ीबत सुनना भी हराम है। और फ़रमाया कि किसी इन्सान का दिल न तोड़ा जाये, यह इन्सान के लिये बड़ा गुनाह है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु जो मसाइल का इल्म रखने वाले बड़े सहाबा में से हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ फ़रमा रहे हैं, तवाफ़ के दौरान आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने काबा शरीफ़ से खिताब करते हुए फरमाया कि ऐ बैतुल्लाह! तू कितना मुकद्दस है. कितना एहतिराम वाला है, फिर अब्दुल्लाह बिन मसऊद रिजयल्लाहु अन्हु से खिताब करते हुए फरमाया कि ऐ अब्दुल्लाह! यह अल्लाह का काबा बड़ा मुकद्दस, बड़ा मुकर्रम है, लेकिन इस कायनात में एक चीज़ ऐसी है कि उराकी पाकीजगी इस अल्लाह के काबे से भी ज़्यादा है, और वह चीज़ क्या है? एक मुसलमान की जान, माल और अबरू कि उसका तकद्दुस काबे से भी ज़्यादा है। अगर कोई शख्स दूसरे की जान पर, माल पर, आबरू पर नाहक हमला करता है तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि वह काबे के छा देने से भी ज़्यादा बड़ा जुर्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह हक़ दिया।

इस्लाम में मआशा की हिफाज़त

जो इन्सान के धुनियादी हुकूम है वे हैं जान, माल और भाबरू, इनकी हिफाज़त ज़रूरी है, फिर इन्सान को दुनिया में जीने के लिये मआशा (रोज़ी, रोज़गार और जीविका) की ज़रूरत है। रोज़गार की ज़रूरत है, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: किसी इन्सान को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि वह अपनी दौलत के बल बूते पर दूसरों के लिये मआशा (रोज़ी, रोज़गार और जीविका) के दरवाजे बन्द करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह उसूल बयान फरमाया। एक तरफ़ तो यह

फरमाया जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट (Freedom of Contract) समझौते की आजादी, जो चाहे समझौता करो लेकिन फरमाया कि हर वह समझौता जिसके नतीजे में दूसरे आदमी पर रिक्त का दरवाज़ा बन्द होता हो वह हराम है। फरमाया:

لَا يَبْعَدُ حَاضِر لِبَادٍ

कोई शहरी किसी देहाती का माल फ़रोख्त न करे। एक आदमी देहात से माल लेकर आया, जैसे ज़मीनी पैदावार तरकारियां लेकर शहर में फ़रोख्त करने के लिये आया तो कोई शहरी उसका आड़ती न बने, उसका वकील न बने, सवाल पैदा होता है कि इसमें क्या हर्ज है? लेकिन नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह बताया कि इसका नतीजा यह होगा कि वह जो शहरी है वह माल लेकर बैठ जायेगा, तो जमाख़ोरी करेगा और बाजार के ऊपर अपनी इजारा दारी कायम करेगा, इस इजारा दारी कायम करने के नतीजे में दूसरे लोगों पर रोज़गार और जीविका के दरवाज़े बन्द हो जायेंगे, इस वास्ते फरमाया:

لَا يَبْعَدُ حَاضِر لِبَادٍ

तो रोज़ी कमाने का हक हर इन्सान का है, कि कोई भी शख्स अपनी दौलत के बल धूते पर दूसरे के लिये रोज़ी और रोज़गार के दरवाज़े बन्द न करे, यह नहीं कि सूद खा-खा कर जुआ खेल-खेल कर गैम्बलिंग कर-कर के सट्टा खेल-खेल कर आदमी ने अपने लिये दौलत के अंधार जमा कर लिये और दौलत के अंबारों के ज़रिये से वह पूरे बाजार के ऊपर काबिज़ हो गया। कोई दूसरा आदमी अगर रोज़ी कमाने के लिये

दाखिल होना चाहता है तो उसके लिये देरवाजे बन्द हैं, यह नहीं बल्कि रोज़ी कमाने और रोज़गार की हिफाज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तमाम इन्सानों का बुनियादी हक् करार दिया और फ़रमाया:

دُعُوا النَّاسُ يَرْزُقُ اللَّهُ بِعِصْمِهِ بِعِصْمِ

यानी लोगों को छोड़ दो कि अल्लाह उनमें से बाज़ को बाज़ के ज़रिए रिज़क अता फ़रमायेंगे, यह रोज़ी और रोज़गार की हिफाज़त है। जितने हुकूक अर्ज कर रहा हूं ये नबी करीम दोनों जहां के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुताव्यन फ़रमाये और मुताव्यन फ़रमाने के साथ साथ इन पर अमल भी करके दिखाया।

ईमान और अँकीदे की हिफाज़त

अँकीदे और दियानत के इस्खियार करने की हिफाज़त, कि अगर कोई शख्स कोई अँकीदा इस्खियार किये हुए है तो उसके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती जाकर मजबूर करके उसे दूसरा दीन इस्खियार करने पर मजबूर करे:

لَا اكْرَاهَ فِي الدِّينِ

यानी दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, दीन के अन्दर कोई जब्र नहीं, अगर एक ईसाई है तो ईसाई रहे, एक यहूदी है तो यहूदी रहे, कानून उस पर कोई पाबन्दी आयद नहीं की जा सकती, उसको तब्लीग की जायगी, दावत दी जायगी, उसको उकीक़ते हाल रामझाने की कोशिश की जायगी, लेकिन उसके ऊपर यह पाबन्दी नहीं है कि ज़बरदस्ती उसको इस्लाम में दाखिल किया जाये, लेकिन हां अगर एक बार इस्लाम में

दाखिल हो गया और इस्लाम में दाखिल होकर इस्लाम की अच्छाईयां और खूबियां उसके सामने आ गयीं तो अब उसको इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि दारुल इरलाम (इस्लामी हुकूमत) में रहते हुए वह इस दीन को ऐलानिया छोड़ कर दीन से फिर जाने का रास्ता इस्तियार करे, इस वास्ते कि अगर वह दीन से फिर जाने का रास्ता इस्तियार करेगा तो इसके मायने यह हैं की मुआशारे में फ़साद (खराबी और बिगड़) फैलायेगा और फ़साद का इलाज ऑप्रेशन होता है, इसलिये इस फ़साद का ऑप्रेशन कर दिया जायेगा और मुआशारे में उसको फ़साद (खराबी और बिगड़) फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

बहर हाल! किरणी की अकल में बात आए या न आए, किसी की समझ में आए या न आए मैं पहले कह चुका हूं कि इन मामलात के अन्दर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बुनियाद फराहम (जमा और एकत्र) फरमायी है, हक वह है जिसे अल्लाह माने, हक वह है जिसे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम माने, इससे बाहर हक नहीं है। इसलिये हर शख्स अकीदे को इस्तियार करने में शुरू में आज़ाद है वर्ता आगर मुर्तद होना (यानी दीन से फिर जाना) जुर्म न होता तो इरलाम के दुश्मन इरलाम को बच्चों का खेल बना कर रख देते, कितने लोग तमाशा दिखाने के लिये इस्लाम में दाखिल होते और निकलते, कुरआने करीम में है कि लोग यह कहते हैं कि सुबह को इरलाम में दाखिल हो जाओ और शाम को काफिर हो जाओ, तो यह तमाशा बना दिया गया होता, इस

वास्ते दारुल इस्लाम में दाखिल रहते हुए दीन से फिर जाने की गुंजाइश नहीं दी जायगी। अगर हकीकत में दियानेत दारी से तुम्हारा कोई अकीदा है तो फिर दारुल इस्लाम से बाहर जाओ, बाहर जाकर जो चाहो करो लेकिन दारुल इस्लाम (इस्लामी हुकूमत) में रहते हुए फसाद (खराबी और विगड़) फैलाने की इजाजत नहीं है।

हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल

बहर हाल! यह मौजू तो बड़ा लम्बा है लेकिन पांच मिसालें मैंने आप हज़रात के सामने पेश की हैं (1) जान की हिफाज़त (2) माल की हिफाज़त (3) आबरू की हिफाज़त (4) अकीदे की हिफाज़त (5) रोज़ी कमाने और रोज़गार की हिफाज़त। ये इन्तरान की पांच बुनियादी ज़रूरियात हैं, ये पांच मिसालें मैंने पेश कीं लेकिन इन पांच मिसालों में जो बुनियादी बात गौर करने की है वह यह है कि कहने वाले तो इसके बहुत हैं लेकिन इसके ऊपर अमल करके दिखाने वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि व सल्लम और आपके गुलाम हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर का वाकिअ़ा है कि बैतुल मुक़द्दस में गैर मुसलिमों से टैक्स पुरूल किया जाता था, इसलिये कि उनके जान व माल व आबरू की हिफाज़त की जाये। एक मौके पर बैतुल मुक़द्दस से फौज धुला कर किरी और महाज़ पर भेजने की ज़रूरत पेश आयी, तबरदस्त ज़रूरत रामने थी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि भाई बैतुल मुक़द्दस में जो काफ़िर रहते हैं हमने उनकी हिफाज़त की जिम्मेदारी ली है, अगर फौज को

यहां से हटा लेंगे तो उनकी हिफाज़त कौन करेगा? हमने उनसे इस कर्म के लिये जिज़या (टैक्स) लिया है, लेकिन ज़रूरत भी शदीद है चुनांचे उन्होंने सारे गैर मुसलिमों को बुला कर कहा कि भाई हमने तुम्हारी हिफाज़त की ज़िम्मेदारी ली थी। उसकी खातिर हमने तुम से यह टैक्स भी वुसूल किया था, अब हमें फौज की ज़रूरत पेश आ गयी है जिसकी वजह से हम तुम्हारी हिफाज़त पूरे तौर पर हक् अदा नहीं कर सकते और फौज को यहां नहीं रख सकते, इसलिये फौज को हम दूसरी जगह ज़रूरत की खातिर भेज रहे हैं तो जो टैक्स तुम से लिया गया था वह सारा तुमको वापस किया जाता है।

हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल

हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वह सहाबी हैं जिन पर कहने वाले ज़ालिमों ने कैसे कैसे बोहतानों की वारिश की है, उनका वाकिआ अबू दाऊद में मौजूद है कि रूम के साथ लड़ाई के दौरान जंग बन्दी का समझौता हो गया, जंग बन्द हो गयी, एक खास तारीख तक यह तय हो गया कि जंग बन्द रहेगी, कोई आपस में एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े दानिश—मंद बुजुर्ग थे, उन्होंने यह सोचा कि जिस तारीख को समझौता ख़त्म हो रहा है उस तारीख को फौजें लेजा कर सहृद के पास डाल दें, ताकि इधर रूरज गुरुब होगा और तारीख बदलेगी उधर हमला कर देंगे, क्योंकि उनका ख़्याल यह था कि दुश्मन को यह ख़्याल होगा कि जब जंग बन्दी की मुद्दत ख़त्म होगी कहीं दूर से चलेंगे तो वक्त लगेगा, इस वास्ते उन्होंने रोचा कि पहले फौज

लेजा कर सर्हद पर डाल दें। चुनांचे सर्हद पर फौज तजा कर डाल दी और इधर उस तारीख का सूरज गुरुब दुआ जो जग बन्दी की तारीख थी और उधर उन्होंने हमला कर दिया। रुम के ऊपर यलगार कर दी और वे बे-खबर और माफिल थे, इसलिये बहुत तेजी के साथ फतह करते चले गये, ज़मीन की ज़मीन खित्ते के खित्ते फतह हो रहे हैं। जाते जोते जब आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे से देखा कि एक शख्स घोड़े पर सवार रस-पट दौड़ा चला आ रहा है और आवाज़ लगा रहा है: अल्लाह के बन्दों रुको! अल्लाह के बन्दों रुको! हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु रुक गये, देखा तो मालूम हुआ कि हज़रत अमर बिन अब्सा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, हज़रत अमर बिन अब्सा रज़ियो जब करीब तश्रीफ लाए तो फरमाया: मोमिन का शेवा वफादारी है गद्वारी नहीं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने तो कोई गद्वारी नहीं की, जंग बन्दी की तारीख खत्म होने के बाद हमला किया, तो हज़रत अमर बिन अब्सा रज़ियो ने फरमाया कि मैंने इन कानों से हुजूर रस्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फरमाते हुए सुना है:

من كان بيده و بين قوم عهد فلا يحلنه ولا يشد له حتى يمضى
امله او ينبع عليهم على سواء
(ترمذی شریف)

जब किसी कौम के साथ कोई समझौता हो तो उस समझौते के अन्दर कोई जरा सा भी तग़ي्युर न करे, न खोले न बांधे, यहां तक कि उसकी मुद्दत न गुज़र जाये, और या उनके सामने खुल कर बयान कर दें कि आज से हम तुम्हारे रामझौते के पाबन्द नहीं हैं। और आपने समझौते के दौरान

सर्वद पर लाकर फौजें डाल दीं और शायद अन्दर भी थोड़ा घुस गया हों, तो इस वारते आपने यह समझौते की खिलाफ वर्जी (उल्लंघन) की और यह जो आपने इलाका फ़तह किया है यह अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं है। अब अन्दाज़ा लगाइये हज़रत मुआविया रजियल्लाहु अन्हु फ़तह के नशे में जा रहे हैं, इलाके के इलाके फ़तह हो रहे हैं, लेकिन जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद सुना तो सारी फौज के लिये हुक्म जारी कर दिया कि सारी फौज वापस लौट जाए और यह फ़तह किया हुआ इलाका खाली कर दिया जाए। चुनांचे पूरा फ़तह किया हुआ इलाका खाली कर दिया। दुनिया की तारीख़ इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती कि किसी फ़ातेह ने अपने फ़तह किये हुआ इलाके को इस वारते खाली किया हो कि उसमें समझौते की पाबन्दी के अन्दर ज़रा सी कमी रह गयी थी, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के गुलाम थे उन्होंने यह करके दिखाया।

बात तो जितनी भी लम्बी की जाये ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन खुलासा यह है कि सब से पहली बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन्सानी हुकूम की बुनियादें फ़राहम की हैं कि कौन इन्सानी हुकूम को मुताय्यन करेगा, कौन नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो हुकूम बयान फरमाये उन पर अमल करके दिखाया, हुकूम ही वे मुताय्यन किये गये जिन पर अमल किया जाये।

आज कल के ह्यूमैन राइट्स

आज कहने के लिये ह्यूमैन राइट्स (इन्सानी हुकूक) के नड़े शानदार चार्टर छाप कर दुनिया भर में तक्सीम कर दिये गये कि ये ह्यूमैन राइट्स (इन्सानी हुकूक) चार्टर हैं लेकिन वह इन्सानी हुकूक के चार्टर के बनाने वाले अपने मफाद की अतिर मुसाफिरों को लेजाने वाले जहाज़ जिसमें बे अनाह अपराद सफर कर रहे हैं, उसको गिरा दें उसमें उनको कोई डर नहीं होता, और मज़लूमों के ऊपर जूल्म व सितम के शिकन्जे करने जायें इसमें कोई डर नहीं होता। इन्सानी हुकूक इस जगह पर मज़रूह होते नज़र आते हैं जहां अपने मफादास के ऊपर कोई चोट पड़ती है, और जहां अपने मफादात के खेलाफ़ हो तो वहां इन्सानी हुकूक का कोई तसव्वुर नहीं आता। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसे इन्सानी हुकूक के कायल नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हमें इस हकीकत को सही तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाये और यह जो बातिल प्रोपैगन्डे हैं इनकी हकीकत पहचानने की तौफीक अता फरमाये। याद रखिये कि बाज़ लोग इस प्रोपैगन्डे से मरज़ब होकर, मगालूब होकर माजिरत चाहने के अन्दाज में हाथ जोड़ कर यह कहते हैं कि नहीं साहिब! हमारे यहां तो यह बात नहीं है, हमारे यहां तो इरलाम ने फलां हक़ दिया है और इस काम के लिये कुरआन को, सुन्नत को तोड़ भरोड़ कर किसी न किसी तरह उनकी मर्जी के मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखिये.

وَلَئِنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّىٰ تَتَّبِعَ بِإِلْهَمٍ، قُلْ إِنَّ
هُدًى اللَّهِ هُوَ الْهَدِي -

यानी यह यहूद और ईराई आप से हरगिज़ उस वक्त तक नहीं खुश होंगे जब तक आप उनके दीन की इत्तिबा नहीं करेंगे।

इसलिये जब तक इस पर नहीं आओगे कि कितना ही कोई एतिराज़ करे, लेकिन हिदायत तो वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाई, जो मुहम्मद रखूलुल्लाह سलल्लाहु अलैहि व सल्लम लेकर आये उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। इसलिये कभी इन नारों से मरज़ब और मग़लूब न हों। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फ़रमाये, आमीन।

وَأَخْرَى دُعَوَانَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ